



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935

No. 628]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSHA 9, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 12 नवम्बर, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा
प्रतिभूति का अन्तरण अथवा निर्गम) (सन्तर्हवापससोधन) विनियमावली, 2013

सा. का. नि. 805(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अन्तरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सप फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित ससोधन करता हप अर्थात:-

1. सक्षित नाम और प्रारब्ध .—

- ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अन्तरण अथवा निर्गम) (सन्तर्हवापससोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएषो।
- ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 5 में ससोधन

विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अन्तरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सप फेमा.20/2000-आरबी) में, विनियम 5 में, उप-विनियम (1) में, खड (1) में निम्नलिखित जोडा जाएगा, अर्थात :-

"इसके अलावा अक्षरहित आप्शनलिटी उपबन्ध के साथ शेयरों और णरिवर्तनीय डिबेंचरों, किन्तु जिनमें किसी आश्वासित कीमत णर निवेश से बाहर जाने के विकल्प/अधिकार न हों, की गणना णत्र लिखतों में की जाएगी जिन्हें भारतीय क्पानी द्वारा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को जारी किया जा सकेगा"।

3. विनियम 9 में ससोधन

विनियम 9 में, उप-विनियम 1 में, निम्नलिखित जोडा जाएगा, अर्थात :-

5485 GI/2013

(1)

"इसके अलावा, न्यूनतम एक साल की अवरुद्धता अवधि (-) अथवा अनुसूची 1 के सन्नग्नक "बी" के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (-), में से जो भी उच्चतर हो, के अधीन भारतीय क़ानूनी के अन्तर्निहित आप्शनलिटी उपबन्धों वाले शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों का धारक भारत से बाहर का कोई निवासी व्यक्ति इन विनियमों के अनुसार और विकल्प/अधिकार का प्रयोग करते हुए, बिना आश्वासित प्रतिफल के, निम्नलिखित शर्तों के तहत निवेश से बाहर जा सकता है।

- (i) सूचीबद्ध क़ानूनी के मामले में, मान्यताप्राप्त एक्स्चेंजों पर निर्धारित हुए बाजार मूल्य पर;
- (ii) गण-सूचीबद्ध क़ानूनी के ईक्विटी शेयरों के मामले में उस कीमत से अनधिक कीमत पर जो नवीनतम लेखापरीक्षित तुलना में ईक्विटी पर प्रतिफल () के आधार पर आकलित हुई हो। उल्लेखानुसार ईक्विटी से लिखत प्रतिफल की अनुमति देने वाले किसी करार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
स्पष्टीकरण- ईक्विटी पर प्रतिफल () का तात्पर्य होगा कर के बाद लाभ/ निवल मालियत। निवल मालियत में सभी मुक्त प्रारक्षित निधियाँ और प्रदत्त पूँजी शामिल होगी।
- (iii) अधिमानी शेयरों अथवा डिबेंचरों के मामले में उस कीमत पर जिसे निवेश से बाहर जाने के समय, किसी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किए गए कीमत निर्धारण के तरीके से आकलित किया गया हो एवमसन्दी लेखाकार अथवा सेबी के पास पंजीकृत मर्चेन्ट बैंकर द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। इस सन्दर्भ में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा कि अनिवासी निवेशक को निवेश/करार करते समय उसके द्वारा निवेश से बाहर जाते समय किसी आश्वासित प्रतिफल की गारंटी न दी जाए और न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (lock-in period) की शर्त के तहत, निवेश से बाहर जाते समय वह प्रचलित कीमत पर निवेश से बाहर जा सकेगा।"

[सफ़ेमा.294/2013-आरबी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक

फुट नोट: मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i), में 8 मई 2000 के सा. का. नि. सख्या. 406(अ) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा सशोधित की गयी थी :

सा. का. नि. स 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा. का. नि. स 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा. का. नि. स 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा. का. नि. स 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा. का. नि. स 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा. का. नि. स 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा. का. नि. स 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा. का. नि. स 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा. का. नि. स 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा. का. नि. स 341 (अ) दिनांक 21.04.2010
सा. का. नि. स 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा. का. नि. स 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा. का. नि. स 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा. का. नि. स 795(अ) दिनांक
30.10.2012	
सा. का. नि. स 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा. का. नि. स 796(अ) दिनांक
30.10.2012	
सा. का. नि. स 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा. का. नि. स 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा. का. नि. स 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा. का. नि. स 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा. का. नि. स 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा. का. नि. स 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा. का. नि. स 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा. का. नि. स 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा. का. नि. स 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा. का. नि. स 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा. का. नि. स 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा. का. नि. स 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा. का. नि. स 799(अ) दिनांक 08.12.2004	सा. का. नि. स 532 (अ) दिनांक 05.08.2013
सा. का. नि. स 201(अ) दिनांक 01.04.2005	सा. का. नि. स 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा. का. नि. स 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा. का. नि. स 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा. का. नि. स 504(अ) दिनांक 25.07.2005	सा. का. नि. स 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा. का. नि. स 505(अ) दिनांक 25.07.2005	सा. का. नि. स 393 (अ) दिनांक 21.06.2013
सा. का. नि. स 513(अ) दिनांक 29.07.2005	सा. का. नि. स 591 (अ) दिनांक 04.09.2013
सा. का. नि. स 738(अ) दिनांक 22.12.2005	सा. का. नि. स 596 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा. का. नि. स 29 (अ) दिनांक 19.01.2006	सा. का. नि. स 597 (अ) दिनांक 06.09.2013
सा. का. नि. स 413 (अ) दिनांक 11.07.2006	सा. का. नि. स 681 (अ) दिनांक 11.10.2013

सा. का. नि. स० 712 (अ) दिनांक 14.11.2007
सा. का. नि. स० 713 (अ) दिनांक 14.11.2007

सा. का. नि. स० 682 (अ) दिनांक 11.10.2013
सा. का. नि. स० 683 (अ) दिनांक 11.10.2013

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2013

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)
(Seventeenth Amendment) Regulations, 2013**

G.S.R. 805 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:-

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Seventeenth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 5

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, (Notification No.FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Regulation 5, in sub-Regulation (1), in clause (i), the following shall be added, namely:-

“Further, shares or convertible debentures containing an optionality clause but without any option/right to exit at an assured price shall be reckoned as eligible instruments to be issued to a person resident outside India by an Indian company subject to the terms and conditions as specified in Schedule I.”

3. Amendment to Regulation 9

In Regulation 9, in sub-regulation 1, the following shall be added, namely:-

“Further, subject to minimum lock-in period of one year or minimum lock-in period as prescribed under Annex-B of Schedule 1 whichever is higher, a person resident outside India holding the shares or debentures of an Indian company containing an optionality clause in accordance with these Regulations and exercising the option/right, may exit without any assured return, subject to the following conditions:

- (i) In case of listed company, at the market price determined on the floor of the recognised stock exchanges;
- (ii) In case of equity shares of unlisted company, at a price not exceeding that arrived on the basis of Return on Equity (RoE) as per latest audited balance sheet. Any agreement permitting return linked to equity as above shall not be treated as violation of FDI policy.

Explanation - RoE shall mean Profit After Tax / Net Worth; Net worth would include all free reserves and paid up capital.

- (iii) In case of Preference shares or debentures, at a price worked out as per any internationally accepted pricing methodology at the time of exit, duly certified by a Chartered Accountant or a SEBI registered Merchant Banker. The guiding principle would be that the non-resident investor is not guaranteed any assured exit price at the time of making such investment/agreements and shall exit at the price prevailing at the time of exit, subject to lock-in period requirement.”

[No.FEMA. 294/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR , Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:-The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No.821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No.945(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013